(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 668–चार/2004 – विरूद्व आदेश दिनांक 27–2–2004 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 653/1995–96 निगरानी

1– महिला बच्चीवाई पत्नि उदय सिंह
2– तिलकसिंह 3– सुरेन्दसिंह 4– रामसेवक
5– शॅकर 6– प्रेमनारायण पुत्रगण उदय सिंह
7– महिला गौराबाई पत्नि अतर सिंह
8– दिलीप सिंह 9– नरेश सिंह
दोनों पुत्रगण अतर सिंह सभी निवासी ग्राम
खेरिया तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्व

रामसिया पुत्र मथुराप्रसाद ब्राहमण
ग्राम कोंहार तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 8 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 653/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–2–2004 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है मृतक गुलजारी ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खेरिया की भूमि सर्वे नंबर 130 रकबा 2 विसवा एंव सर्वे नंबर 131 रकबा 13 विसवा (जो आगे विवादित भूमि लिखी है)पर 20 वर्षो से कब्जा होने के आधार पर खसरे में नाम इन्द्राज करने की मांग की

नायब तहसीलदार मेहगॉव ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 25-6-76 पारित करके कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 28-9-76 से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त हुआ तथा दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण वापिस हुआ। तत्का0तहसीलदार मेहगॉव ने पक्षकारों कों सुनकर आदेश दिनांक 12-8-81 पारित किया तथा गुलजारी का आवेदन निरस्त कर दिया, किन्तु बैजनाथ एंव रामसिया का विवादित भूमि पर नामांत्रण कर दिया।

तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-8-81 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील हुई तथा प्रकरण कमांक 18/80-81 अपील में आदेश दिनांक 16-9-82 से तहसीलदार का नामान्तरण आदेश दिनांक 12-8-81 निरस्त करते हुये गुलजारी का खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जेदार के रूप में नाम दर्ज करने के निर्देश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के यहॉ अपील हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 2/82-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-86 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा अभिलेख की जॉच एंव पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया। तहसील न्यायालय में प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ हुई, जिसमें आपत्ति की गई कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा का वाद व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है इसलिये तहसील की कार्यवाही स्थगित रखी जाय। इस आपत्ति का निराकरण तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-4-90 से किया, जिसके विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी नंबर 56/89-90 प्रस्तुत हुई। कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 17-12-90 से निगरानी निरस्त कर दी।

तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर पक्षकारों की सुनवाई करके तहसीलदार मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 44/1975-76 बी-121 में आदेश दिनांक 23-8-91 पारित किया तथा आवेदकगण के नाम की खसरे में कब्जेदार के रूप में प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक 103/90-91 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 23-8-96 से अपील स्वीकार कर उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, भुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 653/1995-96 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 27-2-2004 से निगरानी निरस्त की

गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विपरीत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों के अवलोकन पर पाया गया कि विवादित भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक मेहगॉव के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 641-ए/1998 चला है जिसमें हुई डिक्री दिनांक 13-07-05 से स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खरिज हुई है इस आदेश के विरुद्ध मान0 सप्तम् अपर जिला न्यायाधीश(फास्टट्रेक) गोहद स्थान भिण्ड के न्यायालय में अपील कमांक 47 ए/2006 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 8-5-2006 से निरस्त हुई है एंव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक मेहगॉव व्दारा डिक्री दिनांक 13-07-05 पुष्टिकृत हुई है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी हैं जिसके कारण अभिलेख दुरूस्ती वावत् निर्णय इस-स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। पक्षकार माननीय व्यवहार न्याय़ालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार मेहगॉव के समक्ष प्रस्तुत कर तदाशय की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 23-8-96 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 27-2-2004 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है ।

(एम0के0सिंह)
सहायक
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर